नवोन्मेष
रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध)
website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

सार्ध शती वर्ष
(1863-2013)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
अध्यक्ष : डॉ. मधुर मोहन रंगा, अजमेर (0145) 2429341, मो. 9414008425
महामंत्री : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रं. : रुक्टा (रा.)/2013-14/02 मार्गशीर्ष शुक्ल १४ वि. स. २०७० तदनुसार 16 दिसम्बर, 2013
(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

''स्वामी विवेकानंद ने पूर्व और पश्चिम को, धर्म और विज्ञान को, अतीत एवं वर्तमान को समन्वित किया और इसलिए वे महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्म सम्मान, आत्म विश्वास एवं आत्माभिव्यक्ति को प्राप्त किया है। – नेताजी सुभाषचन्द्र बोस

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार।

पिछले दो महीनों से राज्य में चुनाव की गहमा-गहमी एवं उसमें कई साथियों की ड्यूटी के चलते शिक्षण कार्य की नियमितता में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था, वह अब सामान्य हुआ है। परिपत्र भेजने में विलम्ब हुआ है, पहले तो विभिन्न समस्याओं पर सरकार से जारी वार्ता व निर्णय कराने के प्रयासों के फलीभूत होने की प्रतीक्षा रही। तत्पश्चात् विधानसभा चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता के चलते समस्या समाधान की प्रक्रिया में शिथिलता के कारण निरन्तरता में व्युत्क्रम रहा। अब 52वें प्रान्तीय अधिवेशन सहित आगामी कार्यक्रमों की सूचना, नौ विभागों में सम्पन्न विभागीय सम्मेलनों के साथ अन्य सांगठनिक गतिविधियों एवं शिक्षक समस्याओं को हल कराने के प्रयासों के विवरण के साथ यह परिपत्र प्रेषित है।

श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का स्वागत - 1 दिसम्बर को सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर श्रीमती वसुंधरा राजे ने नई लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। रुक्टा (राष्ट्रीय) समस्त शिक्षक सदस्यों एवं शिक्षा जगत की ओर से श्रीमती वसुंधरा राजे का हार्दिक अभिनंदन करता है तथा उनके सफल कार्यकाल की हार्दिक कामना करता है। संगठन को विश्वास है कि उनके नेतृत्व में नवीन सरकार संवेदनशील, पारदर्शी शासन देने के साथ-साथ उच्च शिक्षा एवं उसमें कार्यरत प्राध्यापकों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगी तथा राज्य को विकास के पथ पर ले जाने की जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने में समर्थ होगी।

आगामी कार्यक्रमों की सूचना

1. **52 वाँ प्रान्तीय अधिवेशन 9 व 10 जनवरी 2014 को अजमेर में आयोज्य** - संगठन का 52 वाँ प्रान्तीय अधिवेशन 9 व 10 जनवरी 2014 को राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आयोजित किया जायेगा। 9 जनवरी को प्रात: 11.30 बजे उद्घाटन समारोह, 3 बजे देराश्री स्मृति व्याख्यान व शाम 6 बजे समूहश: बैठकें आयोजित की जायेगी। 10 जनवरी को प्रात: 9 बजे शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन होगा, जिसका विषय **वर्तमान परिदृश्य में अकादमिक पाठ्यक्रमों की उपादेयता** है। शिक्षक

साथियों से आग्रह है कि संगोष्ठी हेतु अपना शोध पत्र शैक्षिक प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय पाली अथवा महामंत्री को भिजवाए। 10 जनवरी को ही प्रात: 11.30 बजे खुला सत्र एवं उसके पश्चात् समारोप कार्यक्रम सम्पन्न होगा। अधिवेशन के विभिन्न सत्रों में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनैतिक व्यक्तित्वों, शिक्षाविदों एवं अखिल भारतीय अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। सभी शिक्षक साथियों से अधिवेशन में पूरे समय रुक कर सक्रिय सहभाग करने का अनुरोध है। सभी इकाई सचिवों से आग्रह है कि स्थानीय इकाई की बैठक आयोजित कर प्राध्यापकों की समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव बैठक में पारित करवा कर महामंत्री को भिजवायें।

2. **अखिल भारतीय महिला कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग** - महासंघ की कार्य-योजनानुसार अखिल भारतीय महिला कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग 26-27 दिसम्बर, 2013 को मुम्बई में आयोजित होगा। राज्य से जिला स्तर एवं ऊपर की दायित्ववान महिला प्राध्यापकों की सहभागिता अपेक्षित है। अधिकाधिक महिला प्राध्यापक इसमें भाग लें, ऐसा संगठन का आग्रह है।

3. **राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय परिसंवाद (उच्च शिक्षा संवर्ग) 30 एवं 31 दिसम्बर को वडोदरा में आयोज्य** - अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ द्वारा 30-31 दिसम्बर, 2013 को वडोदरा गुजरात में देश भर के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय परिसंवाद (सेमीनार) महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ वडोदरा के तत्वावधान में आयोजित किया जायेगा। परिसंवाद का विषय **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की प्रासंगिकता** रखा गया है। सभी प्राध्यापक साथियों से राष्ट्रीय परिसंवाद में अपना शोध पत्र भेजने एवं भाग लेने का आग्रह है। परिसंवाद में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म एवं विस्तृत पत्रक महासंघ की वेबसाइट www.abrsm.in पर उपलब्ध है।

4. **कर्तव्य बोध दिवस आयोजित करने का आग्रह** - केन्द्र द्वारा वार्षिक कार्यक्रमों की रचना में प्रति वर्ष कर्तव्य बोध दिवस को व्यापक पैमाने पर सम्पन्न करने के लिए नियोजित किया है। शिक्षक-समाज स्वप्रेरणा से दायित्व निर्वहन के प्रति सजग हो, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित समाज की आदर्श व्यवस्था कार्यरूप से पूर्णत: परिणित हो, ऐसा इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उदेद्श्य है। प्रत्येक महाविद्यालय इकाई अथवा बड़े केन्द्र पर कुछ इकाईयाँ मिलकर स्वामी विवेकानंद जयन्ती 12 जनवरी से लेकर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती 23 जनवरी के मध्य कर्तव्य बोध दिवस योजनापूर्वक प्रेरणास्पद रूप से सम्पन्न करे, ऐसा आग्रह है। कार्यक्रम अधिकतम दो घंटे का हो, जिसमें शिक्षाविद्, संत, विचारक मुख्य वक्ता हो। कार्यक्रम में सभी वर्गों के प्रभावीजनों, शिक्षकों एवं उच्च कक्षाओं के छात्रों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम पश्चात् प्रेस नोट एवं छायाचित्र प्रमुख समाचार पत्रों एवं केन्द्र को अवश्य भिजवाएं।

शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1. **संगठन के तीव्र विरोध के पश्चात् शीतकालीन अवकाश की तिथियों में अनुचित परिवर्तन संबंधी आदेश वापस** - शीतकालीन अवकाश की तिथियों में परिवर्तन के आदेश को संगठन के तीव्र विरोध के बाद सरकार को वापिस लेना पड़ा। निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 7 (4) प्रवेश नीति/अकाद/निकाशि/13/320 दिनांक 13-11-2013 द्वारा सत्र 2013-14 के लिए जारी प्रवेश नीति में शीतकालीन अवकाश की घोषित तिथियों में परिवर्तन कर अवकाश 1 से 7 दिसम्बर तक घोषित कर दिया गया। संगठन के संज्ञान में आते ही अचानक एवं बिना व्यापक विचार के किए गए इस परिवर्तन का संगठन ने राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) एवं निदेशक कॉलेज शिक्षा से कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए इस आदेश को अविलम्ब वापस लेने की मांग की। संगठन ने इस संबंध में राज्यपाल महोदया एवं अन्य अधिकारियों के ध्यान में लाया कि शीतकालीन अवकाश वैज्ञानिक, भौगोलिक एवं संवैधानिक कारणों से किए जाते रहे हैं। दिसम्बर अंत में उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लोक कल्याणकारी राज्य होने के संवैधानिक प्रावधान के चलते ही लोक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए शीतकालीन अवकाश की व्यवस्था की गई है। संगठन द्वारा बताया गया कि दीपावली अवकाश के पश्चात् महाविद्यालय 11 नवम्बर को खुले ही है, इतने कम अंतराल में पुन: अवकाश घोषित करना प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों दोनों के हित में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त राज्य में चुनाव घोषित होने से जनप्रतिनिधि चुनाव में व्यस्त है, ऐसे नाजुक एवं महत्त्वपूर्ण समय पर जनमत की उपेक्षा कर इस तरह के नीतिगत निर्णय

लेना आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है। संगठन द्वारा स्पष्ट किया गया कि निदेशालय द्वारा तथ्यों की मनमानी व्याख्या कर निकाले गए विरोधाभासी आदेश स्वीकार्य नहीं है। निदेशालय द्वारा 6 नवम्बर 2013 को निकाले गये आदेश में कहा गया कि अधिकांश महाविद्यालय भवनों की निर्वाचन कार्य हेतु 2-3 दिन ही आवश्यकता रहती है अत: शेष दिन सत्र सुचारू रूप से चलाया जा सकता है जबकि मात्र एक सप्ताह बाद 13 नवम्बर 2013 के आदेश में इसके विपरीत अधिकांश महाविद्यालयों के भवन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपयोग में लेने के कारण शीतकालीन अवकाश समय पूर्व करने की बात कही गई। इस प्रकार तथ्यों को गलत एवं विरोधाभासी ढंग से प्रकट करने से शिक्षक समुदाय का आक्रोश और विस्तृत हुआ। इसके अतिरिक्त मई 2013 में घोषित शैक्षणिक कलैण्डर के अनुरूप विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं अभिभावकों द्वारा छुट्टियों का पूर्व नियोजन कर यात्रा एवं निवास के पूर्व आरक्षण भी करवाए हुए थे। संगठन द्वारा विस्तार से इस सब तथ्यों को राज्यपाल महोदया एवं अन्य अधिकारियों के ध्यान में लाने पर संगठन की मांग एवं विचार से सहमत होकर सरकार द्वारा शीतकालीन अवकाश को पूर्ववत् रखने के आदेश जारी कर दिये गए। एतदर्थ धन्यवाद।

2. **विधानसभा चुनाव में प्राध्यापकों की ड्यूटी पद, वेतन व वेतनमान के अनुसार लगाने के लिए की गई कार्यवाही** - संगठन द्वारा 3 सितम्बर 2013 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत सरकार नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान व समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव से पर्याप्त समय पूर्व पत्र लिखकर महाविद्यालय प्राध्यापकों की ड्यूटी पद, वेतन व वेतनमान के अनुसार लगाने का आग्रह किया गया। संगठन की ओर से बताया गया कि लोकतंत्रात्मक पद्धति में सभी तरह के चुनावों में महाविद्यालय प्राध्यापकों द्वारा पूर्ण निष्ठा से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये दायित्वों को निभाया जाता रहा है, परन्तु कई बार महाविद्यालय प्राध्यापकों को पद, वेतन एवं वेतनमान में कनिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी के अधीन नियुक्त कर दिया जाता है, इस कारण उनमें व्यापक असंतोष एवं रोष उत्पन्न हो जाता है तथा चुनाव कार्य के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों को अधिकारियों के ध्यान में लाया गया एवं तद्नुरूप दिशा निर्देशों के पालन का आग्रह किया गया। अधिकांश स्थानों पर संगठन के इस संवाद के फलस्वरूप प्राध्यापकों को चुनाव कार्य में पद, वेतन एवं वेतनमान के अनुरूप ही ड्यूटी दी गई, तथापि कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने लापरवाही से अथवा साशय 15900-39100 एवं 37400-67000 तक की वेतन श्रृंखला में कार्यरत प्राध्यापकों की ड्यूटी भी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगा दी। कुछ स्थानों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भय दिखाकर गरिमा से नीचे ड्यूटी करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जोर डाला गया। संगठन के संज्ञान में आते ही इसका तीव्र विरोध किया गया तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तथ्यों एवं नियमों सहित शिकायत करते हुए इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान एवं संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई। कई स्थानों पर संगठन के स्थानीय प्रतिनिधि मंडल ने व्यक्तिगत रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी को विरोध ज्ञापन सौंपकर ड्यूटी में गरिमानुसार संशोधन की माँग की। संगठन के संघर्ष का परिणाम सकारात्मक रहा तथा बारां, हनुमानगढ़, राजसमंद, अजमेर, जोधपुर सहित अधिकांश स्थानों पर पीठासीन अधिकारी के रूप में दी गई ड्यूटी निरस्त कर दी गई अथवा पद, वेतन एवं वेतनमान के अनुरूप संशोधित कर दी गई। इस प्रकार शिक्षक हित में प्रशासन को अपने निर्णय बदलने का श्रेय निश्चय ही संगठन के साथ साथ स्थानीय इकाईयों के जागरूक शिक्षक बंधुओं को भी है। भविष्य में भी व्यापक शिक्षक हित में आप सभी से इसी प्रकार का सहयोग मिलने का विश्वास है।

3. **निदेशक कॉलेज शिक्षा से भेंट** - कॉलेज शिक्षा निदेशक श्री नवीन जैन से 23 नवम्बर को महामंत्री के नेतृत्व में संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट वार्ता कर प्राध्यापकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के अविलम्ब सकारात्मक समाधान की मांग की। निदेशक जी से हुई वार्ता में शीतकालीन अवकाश की तिथियों को पूर्ववत रखने, पदनाम परिवर्तन करने, 31-12-2008 के पश्चात् वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के पात्र व्याख्याताओं हेतु संवीक्षा समिति की बैठक आयोजित करने, पूर्व/अन्यत्र की गई सेवा का लाभ सभी पात्र प्राध्यापकों को देने, आर. वी. आ. ई. एस. प्राध्यापकों की समस्याओं का निराकरण करने, विश्वविद्यालय प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने हेतु कर्तव्य अवकाश स्वीकृत करने, नैक निरीक्षण हेतु आधारभूत संरचना, शोध सुविधा, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात, रिक्त पदों पर भर्ती जैसे विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेकर कार्यवाही प्रारंभ करने, राज्य

के बाहर आयोजित सेमीनार/सम्मेलन में शोध पत्र वाचन हेतु अकादमिक अवकाश का अधिकार प्राचार्य को देने सहित अन्य लम्बित समस्याओं को हल करने की मांग की गई। निदेशक जी ने सभी तथ्यों एवं समस्याओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया तथा व्यापक शिक्षक एवं शिक्षाहित में कार्यवाही करने का मंतव्य प्रकट किया।

4. **सेक्टर अधिकारियों को दिए गए मानदेय में विसंगति दूर करने की मांग** – राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सेक्टर अधिकारियों को रु. 1000 एकमुश्त अथवा रु. 205 प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता/मानदेय दिया गया, जबकि पीठासीन अधिकारी को न्यूनतम रु. 300 व मतदान अधिकारी/पुलिस कार्मिक को न्यूनतम रु. 210 की दर से दैनिक भत्ता दिया गया। संगठन के संज्ञान में आते ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान एवं मुख्य सचिव को पत्र लिख कर तीव्र विरोध किया गया तथा इस विसंगति को ठीक करने की मांग की गई है। चुनाव कार्य से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों के मानदेय भुगतान को साम्यापूर्ण बनाने के पूर्व आदेश को अधिकारियों के ध्यान में लाते हुए दो महीनें की कठिन ड्यूटी के लिए अपर्याप्त एवं गरिमा से नीचे दिये गए मानदेय के प्रति असंतोष जताया गया। संगठन द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने में सेक्टर अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए एक माह के वेतन के बराबर एक मुश्त मानदेय अथवा पद की गरिमा के अनुसार न्यूनतम दैनिक भत्ता देने के आदेश प्रसारित करने की मांग की गई है।

5. **नैक द्वारा महाविद्यालयों के मूल्यांकन के संबंध में आग्रह** – निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ (20) नैक/आयो/निकाशि/13/263 दिनांक 10-4-2013 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 356 दि० 22-8-2013 के द्वारा सफलता पूर्वक दो बैच या 6 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्यों को नैक द्वारा प्रत्यायन एवं मूल्यांकन हेतु आवेदन करने के निर्देश दिये गए। ध्यातव्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की गुणवत्ता निश्चित करने एवं तदनुसार संस्थानों को यू.जी.सी. की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु यू.जी.सी. (उच्च शैक्षिक संस्थानों का अधिदेशात्मक निर्धारण एवं प्रत्यायन) विनियम 2012 द्वारा नैक से प्रत्यायन अनिवार्य किया गया है। संगठन का मानना है कि केन्द्र की यह योजना उच्च शिक्षा संस्थानों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के व्यापक हित में है, किन्तु राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों के नैक से प्रत्यायन हेतु आवेदन के निर्देशों की अनुपालना मात्र से ही राज्य की उच्च शिक्षा का हित संभव नहीं है। इस संबंध में संगठन द्वारा मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), निदेशक कॉलेज शिक्षा को धरातलीय सत्य से तथ्यों सहित अवगत कराते हुए विस्तृत पत्र लिख कर नैक निरीक्षण से पूर्व आधारभूत ढांचे का विकास, पदनाम परिवर्तन, रिक्त पड़े पदों पर भर्ती, यू.जी.सी. रेगूलेशन के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात, शोध सुविधाएं व अन्य विषयों पर विचार कर सम्यक दिशा में क्रियान्वयन प्रारंभ करने की मांग की है। संगठन द्वारा सरकार को ध्यान दिलाया गया है कि जून 2013 में नैक द्वारा Institutional Accreditation Manual for Self Study Report में व्याख्याता पदनाम का कोई उल्लेख नहीं है। Self Study Report में महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की संख्या दर्शाई जानी है। यू.जी.सी. एवं एम.एच.आर.डी. द्वारा व्याख्याता पदनाम समाप्त कर देने के बाद भी सरकार द्वारा पदनाम परिवर्तन नहीं करने के कारण महाविद्यालय की ग्रेड पर असर पड़ सकता है। साथ ही सरकार द्वारा बिना वर्क लोड बढ़ाए 90-100 विद्यार्थियों के एक सेक्शन बनाने के आदेश जारी करने से शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात अत्यधिक न्यून हुआ है, शोध पर्यवेक्षकों द्वारा स्नातक महाविद्यालयों में पीएच.डी. करवाने की व्यवस्था नहीं होना, शोध प्रोजेक्ट लेने वाले प्राध्यापकों के लिए घटे हुए शैक्षणिक कार्यभार की व्यवस्था नहीं होना, तकनीकी, अशैक्षणिक एवं शैक्षणिक स्टॉफ के पद रिक्त होने जैसी कई कमियाँ महाविद्यालय की ग्रेड पर अत्यन्त विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। संगठन का मानना है कि वर्तमान स्थितियों को यथावत् रखते हुए यदि महाविद्यालयों का नैक द्वारा मूल्यांकन करवाया जाता है तो महाविद्यालयों की ग्रेडिंग न्यून होने की संभावना है जिससे महाविद्यालयों को यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान में कमी आयेगी एवं राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ जाएगा।

6. **मुख्यमंत्रीजी को शिक्षक समस्याओं के संबंध में ज्ञापन** – प्राध्यापकों की विभिन्न लम्बित मांगों के संबंध में संगठन महामंत्री के नेतृत्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को 27 जुलाई को उनके अजमेर प्रवास पर ज्ञापन सौंप कर अविलम्ब कार्यवाही

का आग्रह किया। उन्होंने संगठन को बताया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर शिक्षक समस्याओं पर निर्णय लेंगे। ज्ञापन में महाविद्यालय प्राध्यापकों का पदनाम परिवर्तित कर प्रोफेसर पदों का सृजन करने, सीनियर व सलेक्शन स्केल हेतु संवीक्षा समिति बैठक आयोजित करने, महाविद्यालय शिक्षा में स्थायी निदेशक व अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति प्राध्यापकों में से ही करने, लोक सेवा आयोग से चयनित प्राध्यापकों को परिवीक्षा काल की नियुक्ति तिथि से स्थाई सेवा के सम्पूर्ण परिलाभ दिये जाने, वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों की पात्रता सेवा में पूर्व/अन्यत्र की गई सेवा का समावेश किया जाने, आर.वी.आर.ई.एस. के अन्तर्गत समायोजित प्राध्यापकों की समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाने, पीएच.डी./एम.फिल की अतिरिक्त वेतनवृद्धि की पुनर्वसूली की गई राशि लौटाई जाने, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की शैक्षिक आधारभूत व्यवस्था में सुधार करने, सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पेंशन का पुनः निर्धारण करने, राज्य के विधि महाविद्यालयों के संबंध में समुचित निर्णय लेने, सेवारत प्राध्यापकों को पीएच.डी. उपाधि हेतु कोर्सवर्क से मुक्त करने, यू.जी.सी. वेतनमान योजना के प्रावधानों के अनुरूप स्टेपिंग अप की व्यवस्था कर अन्य विसंगतियाँ दूर करने, गैर अनुदानित एवं संविदा पर नियुक्त प्राध्यापकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन देने तथा राज्य में उच्च शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन करने सहित अन्य लम्बित मांगे सम्मिलित थी।

7. **विषय विशेषज्ञ के रूप में कर्त्तव्य पर मानने के आदेश** – संगठन के आग्रह पर राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ/8/विविध/अकादमी अवकाश/निकाशि/03/II/516 दिनांक 8-10-2013 के द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याता को विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किये जाने पर उन्हें कर्त्तव्य पर माना जाने के आदेश प्रसारित करने का संगठन ने स्वागत किया है, परन्तु ये आदेश मध्य प्रदेश की सीमा के निकटवर्ती जिलों में अवस्थित महाविद्यालयों के लिए ही है, अतः संगठन ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इसे सम्पूर्ण प्रदेश में समान रूप से लागू किया जाए तथा साथ ही राज्य के महाविद्यालय प्राध्यापकों को अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य अकादमी निकायों में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किये जाने पर भी कर्त्तव्य पर माना जाये।

8. **महाविद्यालय प्राध्यापकों को सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली से अनुरोध** – विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महाविद्यालय प्राध्यापकों की ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सेक्टर अधिकारी के रूप में लगाई गई, जबकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं चुनाव आयोग द्वारा शिक्षण कार्य में जुड़े प्राध्यापकों की यथासंभव ड्यूटी न लगाने के स्पष्ट निर्देश पूर्व में अनेक अवसरों पर दिये गए है। इस बार भी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित पत्र क्रमांक प. 8(2)(17)निर्वा./2013/3816 दि० 16-8-2013 में सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निर्देशित किया गया कि शिक्षा विभाग के गैर शिक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों को चिह्नित किया जाकर सेक्टर ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संगठन ने इस आदेश के साथ-साथ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय व बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को उद्धरित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ध्यान में लाया कि सेक्टर ऑफिसर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने सेक्टर में कार्य करेंगे, इतनी लम्बी अवधि के कारण शिक्षण कार्य पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्हें बताया गया कि अधिकतर जिलों में सेक्टर ऑफिसर के रूप में 70-80 प्रतिशत महाविद्यालय प्राध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के कारण शिक्षण कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। संगठन ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली, मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान व समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिख कर महाविद्यालय प्राध्यापकों को ड्यूटी से मुक्त कराने के आदेश प्रसारित करने की मांग की। संगठन की इस कार्यवाही के कारण कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्राध्यापकों की ड्यूटी में संशोधन किये, हालांकि इस संबंध में अभी संघर्ष जारी है।

9. **यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर बिल के संबंध में की गई कार्रवाई** – जुलाई माह में कई प्राध्यापक साथियों द्वारा संगठन के ध्यान में लाया गया कि निदेशालय के स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में उनका यू.जी.सी. वेतनमान का एरियर बिल नहीं बन पा रहा है। ऐसे प्राध्यापक जिनका 60 प्रतिशत एरियर एक महाविद्यालय से आहरित किया गया एवं स्थानांतरण या अन्य कारणों

से अब वेतन दूसरे महाविद्यालय से आहरित हो रहा है, उनके 40 प्रतिशत एरियर बिल आहरण का दायित्व दोनों महाविद्यालय एक दूसरे पर डाल रहे हैं। संगठन के संज्ञान में आते ही निदेशालय में मुख्य लेखाधिकारी एवं निदेशक महोदय को फोन/फैक्स कर उनसे अविलम्ब स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई। निदेशक महोदय द्वारा इस पर तुरन्त सकारात्मक कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन स्पष्टीकरण आदेश कॉलेज शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर डाल दिये गए। संगठन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से इन प्राध्यापकों को उनके वित्तीय परिलाभ अन्य प्राध्यापकों के साथ प्राप्त हुए।

10. **परीक्षा पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि की जाए** - संगठन ने राज्यपाल महोदया से विश्वविद्यालयों के प्रशासन को परीक्षा पारिश्रमिक दरों को न्यायोचित एवं तर्कसंगत बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। संगठन ने राज्यपाल महोदया को बताया है कि वर्षों से राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रश्न-पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन सहित अन्य परीक्षा संबंधी कार्यों का पारिश्रमिक नियत कर रखा है जबकि इन वर्षों में विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क में बहुत अधिक वृद्धि की गई है। पिछले वर्षों में मूल्य सूचकांक में भी काफी वृद्धि हुई है, किन्तु विश्वविद्यालयों द्वारा दरें बढ़ाने के स्थान पर दबाव का रास्ता अपनाया जा रहा है, इसका संगठन कड़ा विरोध करता है। संगठन ने राज्यपाल महोदया से इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करने की मांग की है।

11. **निदेशक (अकादमी) पद पर महाविद्यालय शिक्षा संवर्ग में से नियुक्ति की माँग** - राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग (ग्रुप-3) द्वारा आदेश क्रमांक 1(30) शिक्षा-3/2009 दिनांक 5 अप्रेल 2010 से संयुक्त निदेशक पद को क्रमोन्नत किया जाकर निदेशक (अकादमी) पद का सृजन किया गया था। किन्तु आज तक किसी शिक्षक का पदस्थापन इस पद पर नहीं किया गया है। संगठन द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्रीजी के ध्यान में लाया गया कि आदेश क्रमांक एफ 2 (1) स्था./निकाशि/07/1932-38/दिनांक 19-9-12 द्वारा संयुक्त निदेशक (अकादमी) को निदेशक (अकादमी) पद के विरुद्ध लगाया गया किन्तु किन्ही अज्ञात कारणों से आदेश क्रमांक एफ 2 (1) स्था./निकाशि/07/2031-38 दिनांक 27-9-2012 द्वारा मात्र एक सप्ताह के भीतर ही उपर्युक्त आदेश को विलोपित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त वेबसाइट पर निदेशक (अकादमी) के पद को पद क्रम में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) से नीचे दर्शाने तथा उच्च शिक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की तुलना में विसंगतियों के होने पर संगठन ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें ठीक करने के साथ निदेशक (अकादमी) पद पर अविलम्ब महाविद्यालय संवर्ग से ही नियुक्ति करने की मांग सरकार से की है।

12. **उपाचार्यों के पदस्थापन के आदेश जारी करने की मांग** - राज्य सरकार ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पश्चात् अप्रेल 2013 में पात्र प्राध्यापकों को उपाचार्य पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किये थे। राज्य सरकार द्वारा जारी पदोन्नति आदेश के इतने समय पश्चात् भी पदोन्नत उपाचार्यों के पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये गये हैं। कुछ उपाचार्यों को कार्य-व्यवस्थार्थ लगाया गया है, जिसमें भी किसी प्रकार की वरिष्ठता का ध्यान नहीं दिया गया है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि सभी पदोन्नत उपाचार्यों का शीघ्र पदस्थापन किया जाये।

13. **महाविद्यालयों में यू.जी.सी. के नियमानुसार शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात रखा जाए** - निदेशालय द्वारा प्रवेश हेतु अधिक संख्या में आवेदन आने तथा राजनैतिक दबाव के चलते आदेश क्रमांक एफ (40)/अकाद/निकाशि/2013-14/853 दिनांक 18-7-2013 द्वारा विज्ञान में 70 के स्थान पर 90 तथा कला व वाणिज्य में 80 के स्थान पर 100 विद्यार्थियों का एक सेक्शन बनाने के आदेश जारी किए। प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) एवं निदेशक कॉलेज शिक्षा से संगठन ने इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट करते हुए इस तरह तदर्थ नीति के स्थान पर अतिरिक्त सेक्शन खोल कर तदनुसार संकाय सदस्यों के पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम उपाधि प्रदान करने संबंधी निर्देशों के न्यूनतम मानक) विनिमय 2003 में एक लेक्चर क्लास में अधिकतम 60 विद्यार्थियों के मानदण्ड दिये गए हैं।

14. **अतिरिक्त वेतन वृद्धि आदेश शीघ्र निर्गत करने का आग्रह** - संगठन ने राज्य सरकार से पुन: मांग की है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति ही राज्य के ऐसे महाविद्यालय प्राध्यापक जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के

मध्य है, उन्हें 1-1-2006 से existing pay scale में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के आदेश जारी कर वित्तीय परिलाभ प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय वेतन विसंगति समिति की अनुशंसानुसार, पूर्व में ही वित्त मंत्रालय के आदेश क्रमांक 10/02/2011-E/III A/19-3-2012 द्वारा ऐसे केन्द्रीय कर्मचारियों को 1-1-2006 से existing pay scale में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने के आदेश जारी कर चुकी है। राज्य सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (1) एफ.डी./(रुल्स)/2013/II/6-4-13 के द्वारा यह वेतन वृद्धि प्रदान की है परन्तु राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की इस वेतन विसंगति को दूर करने के आदेश जारी नहीं किये है।

15. **राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ में अनुचित ढंग से निरीक्षण का विरोध** - अगस्त 2013 में राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ में आकस्मिक निरीक्षण के नाम पर प्रोटोकॉल का ध्यान रखे बिना कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा राजकीय एवं सामान्य शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन किया गया। स्थानीय इकाई द्वारा जिला कलेक्टर से मिल कर इसका तीव्र विरोध किया गया, इस पर स्थानीय प्रशासन द्वारा गलती मानते हुए किसी तरह की कार्यवाही न करने का मंतव्य प्रकट किया गया। संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) एवं निदेशक कॉलेज शिक्षा से बार-बार हुए इस तरह से अपमानजनक निरीक्षणों पर कड़ी आपत्ति प्रकट की तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। संगठन हमेशा शैक्षिक सुधारों का पक्षधर रहा है, आकस्मिक निरीक्षण का विरोध नहीं है किन्तु संगठन का स्पष्ट मत है कि प्राध्यापकों की गरिमा एवं सम्मान का संरक्षण करते हुए ऐसे निरीक्षण महाविद्यालय प्राचार्य के पद के समकक्ष या उससे उच्चपद के अधिकारी से ही करवाया जाना चाहिए।

16. **श्री विनोद कुमार बैरवा के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट के संबंध में की गई कार्यवाही** - श्री विनोद कुमार बैरवा जो राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई में प्राध्यापक है, से 19 सितम्बर को महाविद्यालय में ड्यूटी करते समय कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया गया। सूचना मिलने पर संगठन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक जयपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक दौसा से अविलम्ब आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई। स्थानीय इकाई एवं केन्द्रीय संगठन के लगातार दबाव के चलते अंतत: आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

17. **रिव्यू डी.पी.सी. में पदोन्नत सेवानिवृत्त प्राध्यापकों का संशोधित वेतन नियतन किया जाए** - रुक्टा (राष्ट्रीय) केवल सेवारत प्राध्यापकों के लिए ही नहीं वरन् सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की समस्याओं को लेकर भी सतत संघर्ष करता रहा है। पिछले महीनों में सम्पन्न रिव्यू डी.पी. सी. में कई सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को उपाचार्य, स्नातक प्राचार्य एवं स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति तो दी गई पर उन्हें पदोन्नति का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया। संगठन ने यह तथ्य प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) एवं निदेशक कॉलेज शिक्षा के ध्यान में लाते हुए मांग की है कि सेवानिवृत्ति के समय जिस पद से प्राध्यापक सेवानिवृत्त हुआ यदि रिव्यू डीपीसी के उपरान्त उसके पद में कोई परिवर्तन होता है तो उसे परिवर्तित पद से सेवानिवृत्त मानते हुए इसका उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया जाए तथा इस पदोन्नति के फलस्वरूप यदि उनके वेतन में कोई अन्तर आता है तो तदनुरूप उनकी पेंशन पुनर्निधारित कर उन्हें एरियर सहित समस्त वित्तीय परिलाभ देने के आदेश जारी किए जाए।

18. **परमानंद डिग्री कालेज गजसिंहपुर के कृषि प्राध्यापकों के समायोजन के संबंध में** - संगठन ने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर परमानंद डिग्री कालेज, गजसिंहपुर के अनुदानित पदों पर कार्य कर रहे 18 प्राध्यापकों एवं कार्मिकों का राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा के अन्तर्गत नियमानुसार समायोजन करने की मांग की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया गया कि इन प्राध्यापकों एवं कार्मिकों का अनुमोदन प्रस्ताव राज्य सरकार को काफी समय पूर्व भिजवाया जा चुका है, किन्तु इस पर की गई कार्यवाही का उत्तर संबंधित प्राध्यापकों को सूचना के अधिकार में भी प्राप्त नहीं हुआ है। संगठन ने संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर इस मामले में न्यायोचित कार्यवाही करने की मांग सरकार से की है।

19. **श्री सी. एल. परसोया को परीक्षा कार्य से डीबार करने के संबंध में पारदर्शी कार्यवाही की मांग** - श्री सी. एल. परसोया, व्याख्याता राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा द्वारा संगठन को सूचित किया गया कि म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

द्वारा एम. कॉम. (पूर्वार्द्ध) ई. ए. एफ.एम. 2011 के द्वितीय प्रश्न-पत्र में मूल्यांकन योजना को प्रश्न-पत्र के रूप में छाप दिया गया तथा इसका समस्त दोष उन्हें देते हुए परीक्षा कार्य में उन्हें आजीवन डीवार कर दिया गया। आर. टी. आई. में इस संबंध में सूचना प्राप्त करने में ही उन्हें दो वर्ष से अधिक का समय लगा। संगठन ने राज्यपाल महोदया को पत्र लिखकर म.द.स. विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति को निर्देश देने की मांग की है कि इस सम्पूर्ण प्रकरण में श्री सी. एल. परसोया का पक्ष जानकर तदनुरूप पारदर्शी ढंग से न्यायसंगत निष्कर्ष निकाला जाए।

सांगठनिक एवं वैचारिक कार्यक्रम

1. **विभागीय सम्मेलन सम्पन्न** - संगठन की वार्षिक कार्य योजनानुसार इस वर्ष सितम्बर माह में विभागीय सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया गया था। संगठन को गतिशील बनाने एवं केन्द्र से इकाई तक संवाद स्थापित करने में इन सम्मेलनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। सभी कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से नौ विभागीय सम्मेलन सम्पन्न हुए, एतदर्थ सभी का आभार।

(i) अजमेर-भीलवाड़ा विभाग - 14 सितम्बर को विभागीय सम्मेलन एम. एल. वी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा में सम्पन्न हुआ। संगठन महामंत्री ने मुख्य वक्ता के रूप में संगठन की गतिविधियों, विभागीय सम्मेलन के उद्देश्य एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ व्याख्याता डॉ. हरिकिशन रामचन्दानी ने की। खुले सत्र् में महामंत्री ने प्राध्यापकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। खुले सत्र् में डॉ. गोविन्द नागर, डॉ. एल. एन. बल्दुआ, डॉ. बी. एल. आचार्य, डॉ. हेमेन्द्र व्यास, डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी आदि संभागियों ने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में डॉ. सावन जांगीड़, डॉ. बी. एल. जागेटिया तथा डॉ. एम. आर. देवड़ा को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन में विभागीय अध्यक्ष डॉ. पुखराज देपाल, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सावन जांगीड़, प्रांतीय अंकेक्षक डॉ. सोमकांत भोजक, प्रधान कार्यालय मंत्री डॉ. एस. के. बिस्सु एवं वरिष्ठ सदस्य प्रो. श्यामसुन्दर भट्ट सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विभागीय सचिव डॉ. कश्मीर भट्ट ने किया।

(ii) धौलपुर-भरतपुर विभाग - विभाग का सम्मेलन 22 सितम्बर को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य तथा संगठन महामंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने संगठन के वैचारिक अधिष्ठान को रेखांकित करते हुए उपस्थित प्राध्यापकों को व्यापक समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा दी। संगठन महामंत्री ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की व खुले सत्र् में आये प्रश्नों के उत्तर दिये। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सतीश त्रिगुणायत ने अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन में डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ सदस्यों डॉ. वी. एस. गौड़, प्रो. उमेश चतुर्वेदी एवं डॉ. डी. सी. निमेष का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। सम्मेलन में विभागीय अध्यक्ष प्रो. जग्गोसिंह, विभागीय सचिव डॉ. मनोज शर्मा, सहसचिव डॉ. नवनीत शर्मा, महिला प्रतिनिधि डॉ. अल्का गोयल, प्रचार प्रकोष्ठ संयोजक डॉ. मानवेन्द्र चतुर्वेदी सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित थे। एम. एस. जे. कॉलेज की संगठन इकाई के सचिव डॉ. अनिल सक्सेना ने कार्यक्रम का संचालन किया।

(iii) बीकानेर-नागौर विभाग - विभागीय सम्मेलन 22 सितम्बर को राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर में सम्पन्न हुआ। उद्घाटन में मुख्य वक्ता डॉ. हनुमान प्रसाद व्यास, पूर्व निदेशक ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली एवं वर्तमान कुलपति बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद के जीवन व उनके विचारों की प्रासंगिकता प्रतिपादित करते हुए शिक्षक के जीवन को ही उसका उपदेश बनाने पर बल दिया। डॉ. व्यास ने स्वामीजी के उद्बोधन वाक्य courage like a lion को आधुनिक जीवन के मंत्र के रूप में अपनाने का आह्वान किया। द्वितीय सत्र में जो कि खुला सत्र रहा में डॉ. एन. के. शर्मा, डॉ. एम. के. जैन, डॉ. धर्मवीर शर्मा, डॉ. शशिकांत, डॉ. विक्रमजीत, डॉ. संजय आचार्य, डॉ. उज्ज्वल गोस्वामी, डॉ. शमीन्द्र सक्सेना, डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित, डॉ. मूलचन्द माली सहित अन्य शिक्षकों ने शिक्षक समस्याओं को सदन के समक्ष रखा। प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. ग्यारसी लाल जाट ने शिक्षक समस्याओं पर संगठन की ओर से की जा रही कार्यवाही की जानकारी देते हुए सभी मांगों पर समुचित कार्यवाही करने का मंतव्य प्रकट किया। समारोप सत्र में मुख्य वक्ता

डॉ. ग्यारसी लाल जाट ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित करना न होकर कॅरियर बनाना रह गया है, जो समाज के पतन का कारण बन रहा है। इस स्थिति में शिक्षक ही एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक चेतना ला सकता है। सम्मेलन में विभाग अध्यक्ष डॉ. मोइनुद्दीन, महिला प्रतिनिधि डॉ. स्मिता जैन सहित अनेक शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह ने किया।

(iv) दौसा-अलवर विभाग - विभागीय सम्मेलन 22 सितम्बर को मुख्य अतिथि प्रो. जे. पी. सिंघल, महामंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रो. बी. के. अग्रवाल, निदेशक सनराइज विश्वविद्यालय अलवर व स्वागताध्यक्ष प्रो. घनश्यामलाल, प्राचार्य आर. आर. कॉलेज, अलवर के सान्निध्य में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रो. जे. पी. सिंघल ने विभागीय सम्मेलन के औचित्य को स्पष्ट करते हुए संगठन में नियमित गतिविधियों एवं कार्यकर्ताओं की सक्रियता की महत्ता समझाई। संयुक्त मंत्री डॉ. गंगाश्याम गुर्जर ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। खुले सत्र् में डॉ. हर्ष मल्होत्रा, डॉ. हेमा देवरानी, डॉ. महेश शर्मा, डॉ. डी. सी. चौबे, डॉ. मिथलेश गुप्ता, डॉ. धंनजय सिंह सहित अन्य संभागियों ने शिक्षक समस्याओं पर अपने विचार रखे, जिनका समाधान प्रो. जे. पी. सिंघल द्वारा किया गया। सम्मेलन में विभागीय अध्यक्ष डॉ. शशिकांत गुप्ता, सहसचिव डॉ. अरुण रघुवंशी सहित विभाग के अनेक शिक्षक उपस्थित रहे। संचालन सहसचिव डॉ. कर्मवीर व डॉ. रितु गुप्ता ने किया।

(v) श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ विभाग - विभाग का सम्मेलन 22 सितम्बर को सहसंगठन मंत्री डॉ. दिग्विजय सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं डॉ. विजय लक्ष्मी महेन्द्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। डॉ. दिग्विजय सिंह ने संगठन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताते हुए संगठन में नियमित कार्यक्रमों की आवश्यकता प्रतिपादित की। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सरबनसिंह, विभागीय अध्यक्ष डॉ. रामसिंह राजावत, सहसचिव डॉ. अन्नाराम, महिला प्रतिनिधि डॉ. रजनी वशिष्ठ सहित अनेक संभागी शिक्षक उपस्थित थे। संचालन विभागीय सचिव डॉ. श्यामलाल ने किया।

(vi) जयपुर विभाग - विभागीय सम्मेलन देराश्री शिक्षक सदन जयपुर में 22 सितम्बर को सम्पन्न हुआ। मुख्य वक्ता संगठन अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। संगठन उपाध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा ने सम्मेलन के औचित्य को बताया। खुले सत्र् में डॉ. योगेश शर्मा, डॉ. सीताराम चौधरी, डॉ. शिवदत्त, डॉ. संगीता शाह, डॉ. नीलम गुप्ता, डॉ. गोविन्द सरण, डॉ. सरस्वति मित्तल, डॉ. सीमा सक्सेना, डॉ. सुजाता, डॉ. राधेश्याम माहेश्वरी आदि ने विभिन्न विषयों पर विचार रखे व प्रश्न पूछे। इस पर संगठन अध्यक्ष ने विभिन्न समस्याओं के संबंध में हो रही प्रगति की जानकारी देते हुए रचनात्मक सुझावों पर संगठन द्वारा भविष्य में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। समारोप कार्यक्रम में शैक्षिक मंथन पत्रिका के प्रधान सम्पादक प्रो. संतोष पाण्डेय का मार्गदर्शन रहा। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) डॉ. एन. के. पाण्डेय, विभाग की महिला प्रतिनिधि डॉ. मृदुला चतुर्वेदी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. संजीव त्यागी, देराश्री शिक्षक सदन प्रभारी डॉ. कमल मिश्रा, विभागीय अध्यक्ष डॉ. सीताराम पारीक, सचिव डॉ. विजय गोयल सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. रामनिवास ने किया।

(vii) पाली-जालोर-सिरोही विभाग - विभाग का सम्मेलन 29 सितम्बर को प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं डॉ. महेन्द्र गोखरु की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। डॉ. दीपक शर्मा ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी व खुले सत्र् में प्राध्यापकों की समस्याओं पर संगठन का दृष्टिकोण रखा। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. महेन्द्रकुमार गोखरु ने विभागीय सम्मेलन एवं संगठन के महत्त्व को रेखांकित किया। खुले सत्र् में डॉ. हरिसिंह राजपुरोहित, डॉ. सुनील गर्ग, डॉ. माणकचन्द, डॉ. अनुपम चतुर्वेदी, डॉ. संतोष त्रिपाठी सहित कई संभागियों ने अपने विचार रखे। सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. सुदर्शन सिंह राठौड़, विभागीय अध्यक्ष श्री बीरबल मेघवाल, विभागीय सचिव डॉ. ओ. पी. देवासी, सह सचिव श्री संदीप शर्मा सहित अनेक प्राध्यापकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संदीप जोशी ने किया।

(viii) सवाईमाधोपुर-करौली-टोंक विभाग - 29 सितम्बर को विभागीय सम्मेलन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाईमाधोपुर में सम्पन्न हुआ। प्रारंभ में मुख्य वक्ता संगठन अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने संगठन की विभिन्न गतिविधियों की

जानकारी प्रदान करते हुए प्राध्यापकों को अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी जिम्मेदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। संभाग संगठन मंत्री डॉ. राजेन्द्र शर्मा ने विभागीय सम्मेलन के औचित्य पर प्रकाश डाला। खुले सत्र में प्राध्यापकों ने अपनी समस्याओं को संगठन अध्यक्ष के समक्ष रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागीय अध्यक्ष डॉ. देवीसिंह ने की। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. पृथ्वीराज मीणा, विभागीय सचिव डॉ. के. एल. गुर्जर, सह सचिव डॉ. बिहारी लाल मीणा, महिला प्रतिनिधि डॉ. रविबाला गोयल सहित विभाग के अनेक शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विजय सिंह जाट ने किया।

(ix) कोटा-बून्दी-बारां-झालवाड़ विभाग - 6 अक्टूबर को विभागीय सम्मेलन मानव विकास भवन, कोटा में सम्पन्न हुआ। मुख्य वक्ता संगठन उपाध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा ने प्राध्यापकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सांगठनिक स्तर पर चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। संभाग संगठन मंत्री डॉ. नंदसिंह नरुका ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए संगठन की विश्वसनीयता के लिए नियमित गतिविधियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता एवं आचरण की शुचिता पर बल दिया। खुले सत्र् में संभागी प्राध्यापकों ने विचार व्यक्त किये। समारोप समारोह में डॉ. सुरेश राजोरा व डॉ. प्रमोद शर्मा ने उपस्थित प्राध्यापकों का वैचारिक प्रबोधन किया। सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. दिलीप गोयल, विभागीय अध्यक्ष डॉ. बी. के. योगी, सह सचिव डॉ. राहुल सक्सेना, महिला प्रतिनिधि डॉ. मीनू माहेश्वरी सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुब्रत शर्मा ने किया।

2. **गुरु वंदन कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित** - केन्द्र के आह्वान पर रुक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा गुरु वंदन कार्यक्रम अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, सरदार शहर, सीकर, मालपुरा एवं चिमनपुरा आदि स्थानों पर समारोह पूर्वक मनाये गये। राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए संगठन अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा ने कहा कि भारत की नैतिक ज्ञान परम्परा गुरुओं के कारण ही बनी रही है। विशिष्ट अतिथि इतिहासकार डॉ. नवल किशोर उपाध्याय ने जोर दिया कि यदि गुरु शिष्य परम्परा को पुनः स्थापित करना है तो अपने मूल चिंतन की ओर लौटना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपाचार्य डॉ. अशोक तंवर ने की। इससे पूर्व महर्षि व्यास के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महामंत्री ने इस कार्यक्रम के औचित्य पर प्रकाश डाला। डॉ. एस. के शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। एम. एस. जे. महाविद्यालय भरतपुर की स्थानीय इकाई द्वारा आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. गोविन्द राम चरोरा ने गुरु शब्द की व्युत्पत्ति एवं महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. चंदनमल शर्मा ने प्राचीन दृष्टांतों के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन किया। डॉ. सतीश त्रिगुणायत ने गुरु के गौरव एवं गुरु शिष्य के संबंधों को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया। रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय भरतपुर में इस अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें संभागी प्राध्यापकों ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मानवेन्द्र चतुर्वेदी एवं आभार प्रदर्शन डॉ. सुनील गुप्ता ने किया। राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. फूलचंद भिण्डा, श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर में डॉ. ग्यारसी लाल जाट एवं राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर में डॉ. दिग्विजय सिंह द्वारा भारतीय गुरु परम्परा के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।

3. **प्रदेश कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न** - संगठन की विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संगठन अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा की अध्यक्षता में 18 अगस्त 2013 को देराश्री शिक्षक सदन में सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम महामंत्री ने गत बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। महामंत्री ने गत बैठक के पश्चात् मुख्यमंत्री एवं संयुक्त निदेशक से भेंट सहित राज्यपाल, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा), निदेशक कॉलेज शिक्षा को प्राध्यापकों की विभिन्न समस्याओं के लिए लिखे गए पत्रों एवं उन पर हुई कार्यवाही की जानकारी सदन को दी। सांगठनिक कार्यक्रमों में प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग एवं टाटानगर में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की विस्तृत जानकारी दी गई। द्वितीय सत्र में सदस्यों ने प्राध्यापकों की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किये। तृतीय सत्र में वर्ष 2013-14 की सदस्यता संग्रहण की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि नियोजित ढंग से सदस्यता करने का यह प्रकार भविष्य में भी जारी रखा जाना चाहिए। इसके बाद गुरु वंदन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। कतिपय इकाईयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर संतोष

व्यक्त किया तथा अगले वर्ष गुरु वंदन कार्यक्रम अधिकतम स्थानों पर संपन्न करने का निर्णय लिया गया। अंतिम सत्र में वार्षिक कार्य योजना अनुसार विभागीय सम्मेलनों का आयोजन सितम्बर माह में करने का निर्णय लिया गया तथा इन सम्मेलनों में प्रदेश की ओर से प्रतिनिधि भेजने हेतु महामंत्री एवं अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। बैठक में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल, महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल एवं शैक्षिक मंथन पत्रिका के प्रधान सम्पादक प्रो. संतोष पांडे की उपस्थिति प्रेरणास्पद रही। अंत में अध्यक्षजी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

4. **अखिल भारतीय विचार बैठक संपन्न** - 9-10 एवं 11 अगस्त 2013 को आबू पर्वत में अखिल भारतीय विचार बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में शैक्षिक महासंघ की 25 वर्ष की कार्य यात्रा की समीक्षा की गई एवं उन आयामों/बिन्दुओं को चिह्नित किया गया जिन पर आगे आने वाले वर्षों में कार्य करता है। महासंघ के कार्य का व्याप बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलूओं पर गहन विचार मंथन किया गया। अपने वैचारिक अधिष्ठान को केन्द्र में रखते हुए संगठन शिक्षक हित में किस प्रकार कार्य करे, इस पर भी गहन चर्चा हुई। बैठक में देश भर से 36 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रा. स्व. संघ के अखिल भारतीय सह सम्पर्क प्रमुख प्रो. अनिरुद्ध देशपांडे का पूरे समय बैठक में सान्निध्य प्राप्त हुआ। प्रदेश से डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, प्रो. जे. पी. सिंघल, प्रो. संतोष पांडे एवं डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने बैठक में भाग लिया।

5. **शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं राष्ट्रीय साधारण सभा बैठक नागपुर में सम्पन्न** - अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं राष्ट्रीय साधारण सभा बैठक 28 व 29 सितम्बर 2013 को नागपुर में संगठन के संरक्षक प्रो. के. नरहरिजी के सान्निध्य में सम्पन्न हुई। बैठक में 16 राज्यों के 81 शिक्षक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यकारिणी बैठक में महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंघल द्वारा जमशेदपुर में सम्पन्न हुई पूर्व बैठक का कार्यवाही विवरण सदन के समक्ष रखा, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् कोषाध्यक्ष द्वारा आय-व्यय विवरण तथा प्रतिनिधियों द्वारा संगठनशः/राज्यशः कार्यवृत्त सदन में रखे गये। बैठक में गुरु वन्दन कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा आबू पर्वत में सम्पन्न अखिल भारतीय विचार बैठक में आए महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। संवर्गशः बैठकों में उच्च शिक्षा संवर्ग की बैठक प्रो. के. बालकृष्ण भट्ट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें 26 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में महासंघ के महामंत्री ने संवर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तर, विश्वविद्यालय स्तर एवं केन्द्र स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता जताई। उच्च शिक्षा संवर्ग द्वारा 30-31 दिसम्बर को वडोदरा में होने वाली संगोष्ठी का मुख्य विषय एवं उपविषय तय किये गए। 29 सितम्बर को राष्ट्रीय साधारण सभा बैठक में बैंगलुरु में सम्पन्न पिछली राष्ट्रीय साधारण सभा का कार्यवाही विवरण, महामंत्री प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 के अंकेक्षित आय-व्यय विवरण व बैलेंस सीट का अनुमोदन किया गया। साधारण सभा ने निम्न तीन प्रस्ताव पारित किये - मिड डे मील योजना का प्रभावी, पारदर्शी एवं कुशल प्रबंधन हो; शाश्वत जीवन मूल्यों से युक्त शिक्षा पद्धति की पुनः संरचना की जाय व उच्च शिक्षा में पिछले दरवाजे से विदेशी विश्वविद्यालयों एवं देश के व्यावसायिक संस्थानों के प्रवेश के आदेश को वापिस लिया जाय। बैठक में राजस्थान से डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, प्रो. जे. पी. सिंघल, प्रो. संतोष पाण्डेय व डॉ. नारायण लाल गुप्ता ने भाग लिया।

6. **सदस्यता** - विगत दो वर्षों से संगठन की सदस्यता जुलाई मास में ही सम्पन्न करने की योजना पर कार्य हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षक साथियों ने इसका समर्थन करते हुए संगठन पर अपना विश्वास जताया है, इस कारण पिछले दो वर्षों में सदस्यता के व्याप एवं संख्या दोनों में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। एतदर्थ संगठन की ओर से आप सभी का आभार। वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्त कुल सदस्यता 3927 है, जो निम्न प्रकार है -

राजकीय महाविद्यालयों में भरतपुर 121, कन्या भरतपुर 43, विधि भरतपुर 3, डीग 20, बयाना 16, धौलपुर 37, कन्या बयाना 1, राजऋषि अलवर 89, कला अलवर 72, कन्या अलवर 54, बीबीरानी 20, गोविन्दगढ़ (अलवर) 1, थानागाजी 17, राजगढ़ 41, नादोति 1, कोटा 160, वाणिज्य कोटा 30, कन्या कोटा 61, झालावाड़ 39, कन्या झालावाड़ 10, भवानीमंडी 11, बारां 21, कन्या बारां 15, केलवाड़ा 6, बून्दी 60, कन्या बून्दी 4, बासंवाड़ा 44, कन्या बासंवाड़ा 14, डूंगरपुर 36, कन्या डूंगरपुर 14, सागवाड़ा 10, कुशलगढ़ 7, मीरां उदयपुर 98, नाथद्वारा 47, कन्या नाथद्वारा 14, प्रतापगढ़ 11, निम्बाहेड़ा 11, चित्तौड़गढ़ 45, कन्या चित्तौड़गढ़ 14, मण्डफिया 11, सलुम्बर 14, कोटड़ा 6, आमेट 3, खेरवाड़ा 4, अजमेर 202, कन्या

अजमेर 18, भीलवाड़ा 106, कन्या भीलवाड़ा 40, शाहपुरा (भीलवाड़ा) 20, किशनगढ़ 45, ब्यावर 81, नसीराबाद 25, केकड़ी 8, जालोर 21, कन्या जालोर 3, भीनमाल 11, सिरोही 34, कन्या सिरोही 4, पाली 58, विधि पाली 3, कन्या पाली 11, सोजतसिटी 13, भीम 12, जैतारण 9, भोपालगढ़ 10, शिवगंज 11, आबूरोड़ 5, सीकर 120, विधि सीकर 4, नीमकाथाना 41, कन्या नीमकाथाना 4, झुंझुनु 17, कन्या झुंझुनु 18, खेतड़ी 38, रतनगढ़ 17, रामगढ़ शेखावटी 5, सुजानगढ़ 18, कन्या सुजानगढ़ 8, तारानगर 15, सरदारशहर 21, बीकानेर 125, कन्या बीकानेर 41, नोखा 15, श्रीगंगानगर 35, कन्या श्रीगंगानगर 34, हनुमानगढ़ 16, नोहर 22, सूरतगढ़ 8, चुरू 66, कन्या रतनगढ़ 6, चिमनपुरा 111, कोटपूतली 70, कन्या कोटपूतली 9, दौसा 90, कन्या दौसा 10, टोंक 57, कन्या टोंक 4, सवाईमाधोपुर 53, कन्या सवाईमाधोपुर 12, उनियारा 11, हिण्डौनसिटी 11, करौली 43, कन्या करौली 1, गंगापुरसिटी 26, कन्या शाहपुरा (जयपुर) 18, देवली 17, मालपुरा 20, लालसोट 6, बांदीकुई 24, सांभरलेक 34, कालाडेरा 62, कन्या चौमूँ 13, बहरोड़ 21, नागौर 36, मेड़तासिटी 16, डीडवाना 36, सादुलपुर 1, निदेशालय 1, संगीत संस्थान जयपुर 5, स्कूल ऑफ आर्ट्स 9, संस्कृत जयपुर 2

विश्वविद्यालयों में – राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 39, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर 42, म. द. स. विश्वविद्यालय, अजमेर 12, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर 16, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर 20, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा 27, भगवान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा 7, प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर 1

निजी महाविद्यालय – नामादेवी महिला महाविद्यालय नुआं 20, महर्षि दयानंद बालिका विज्ञान महाविद्यालय झुंझुंनु 11, श्रीमती गोमतीदेवी पी.जी. महाविद्यालय बड़ागाँव 15, एस. बी. शाह कॉलेज झुंझुंनु 5, सेठ मोतीलाल पी.जी. कॉलेज झुंझुंनु 18, खालसा हनुमानगढ़ 9, कन्या महाविद्यालय पीलीबंगा 4, जैन सुबोध जयपुर 20, सूरतगढ़ पी.जी. कॉलेज सूरतगढ़ 17, मित्तल महिला सरदारशहर 10, जैन पी.जी. बीकानेर 2, बिनानी कन्या बीकानेर 2, बी.एड. हटूण्डी (अजमेर) 1

इस वर्ष बने आजीवन सदस्य – 2

भविष्य में भी संगठन को आपका समर्थन एवं सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास रखते हुए आप सब से अजमेर अधिवेशन में साक्षात मिलने की कामना करता हूँ।

साभार।

भवदीय

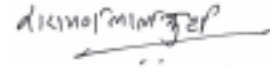

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

अमृत वचन

दूसरों के पास जो कुछ भी अच्छा मिले,उसे सीख लो,परन्तु उसे अपने भाव के साँचे में ढालकर लेना होगा। दूसरे से शिक्षा ग्रहण करते समय उनके ऐसे अनुगामी न बनो कि अपनी स्वतंत्रता ही गँवा बैठो। भारत के राष्ट्रीय जीवन से विच्छिन्न मत हो जाना। पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारत के सभी निवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते,अमुक जाति के आचार-व्यवहारों के अनुयायी हो जाते,तो बड़ा अच्छा होता। ... राष्ट्रीय जीवन के स्रोत को पूर्ववत् प्रवाहित होने दो। हाँ,जो प्रबल बाधाएं इसके मार्ग में रुकावट डाल रही है,उन्हें हटा दो,इसका रास्ता साफ करके प्रवाह को मुक्त कर दो,तो देखोगे – यह राष्ट्रीय जीवन-स्रोत अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से बहकर आगे बढ़ चलेगा और यह राष्ट्र अपनी सर्वांगीण उन्नति करते हुए अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएगा।

– स्वामी विवेकानंद